International Journal of Humanities and Social Science Invention
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 5 Issue 3 ||March. 2016 || PP.56-62

राजस्थान में अकाल एवं मरुस्थलीकरण का अध्ययन

डॉ. विक्रम सिंह
व्याख्याता , भूगोल विभाग , एस. एस. एस. पी.जी. कॉलेज , जमवारामगढ़ , जयपुर , राजस्थान

शोध सारांश
राजस्थान में अकाल का मुख्य कारण वर्षा की अनिश्चिता एवं अनियमितता है। राजस्थान के जलवायु की विषमता, वनों के स्वरूप, धरातल की स्थिति तथा अरावली श्रृंखला की दिशा मानसूनी हवाओं के समानान्तर होने के कारण भी अकाल एवं सूखे की स्थिति रहती है। 1987 ई. का अकाल बीसवीं सदी का सबसे भयंकर अकाल था। इस अकाल ने त्रिकाल का रूप धारण का कर लिया था । ऐसी भूमि जहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पायी जाती है और न ही पाये जाने की सम्भावना होती है ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। दूसरे शब्दों में सामान्य तथा शुष्क क्षेत्रों जहाँ वनस्पति व वर्षा का सदैव अभाव रहता है तथा वर्षा 100°ब वार्षिक से कम होती है। उस भाग को मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल उष्ण तथा शीत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मरुस्थल बनने की इस प्रक्रिया को मरुस्थलीयकरण कहते हैं। जिसके अन्तर्गत कोई शुष्क क्षेत्र धीरे–धीरे मरुस्थल में बदल जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत की क्षारीय मिट्टी एक अन्तः स्तरीय मिट्टी है जो उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क प्रदेशों में लगभग 68 हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। कम वर्षा, उच्च तापक्रम और अपर्याप्त जल अभाव के कारण या ऊसर मिट्टी का विकास हुआ। पंजाब के 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत 'कल्लर मिट्टी' उसी वर्ग की है। उस मिट्टी को कललरी, रेह ऊसर आथैर कहते हैं। उस मिट्टी का विकास विभिन्न घुलनशील नमक, क्लोराइड कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम तथा सोडियम एवं सल्फेट का अंश अधिक है। यहाँ पर 75°ब औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ के पानी में प्रति एकड़ फुट में 0.1 से लेकर 0.5 तक लवण विद्यमान हैं। उस पानी से सिंचाई होने का कारण फिरोजपुर, गुड़गांव, रोहतक तथा हिसार जलों मे भूमि का पर्याप्त क्षेत्र शनैः शनैः मरुस्थलीयकरण की ओर बढ़ रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान में अकाल , सूखा एवं मरुस्थलीकरण की समस्या एवं समाधान का भौगोलिक अध्ययन किया गया है ।

मुख्य बिन्दु :– राजस्थान में अकाल , अकाल के कारण , अकाल के प्रकार , मरुस्थलीकरण , सूखे एवं अकाल की समस्या से निपटने हेतु सरकारी कार्यक्रम , अकाल के दुष्प्रभाव , नियंत्रण के उपाय एवं निष्कर्ष ।

परिचय :–

अकाल भोजन का एक व्यापक अभाव है जो किसी भी पशुवर्गीय प्रजाति पर लागू हो सकता है। इस घटना के साथ या इसके बाद आम तौर पर क्षेत्रीय कुपोषण, भुखमरी, महामारी और मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। जब किसी क्षेत्र में लम्बे समय तक (कई महीने या कई वर्ष तक) वर्षा कम होती है या नहीं होती है तो इसे सूखा या अकाल कहा जाता है। सूखे के कारण प्रभावित क्षेत्र की कृषि एवं वहाँ के पर्यावरण पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इतिहास में कुछ अकाल बहुत ही कुख्यात रहे हैं जिसमें करोंड़ों लोगों की जाने गयीं हैं। अकाल राहत के आपातकालीन उपायों में मुख्य रूप से क्षतिपूरक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि विटामिन और खनिज पदार्थ देना शामिल है जिन्हें फोर्टीफाइड शैसे पाउडरों के माध्यम से या सीधे तौर पर पूरकों के जरिये दिया जाता है। सहायता समूहों ने दाता देशों से खाद्य पदार्थ खरीदने की बजाय स्थानीय किसानों को भुगतान के लिए नगद राशि देना या भूखों को नगद वाउचर देने पर आधारित अकाल राहत मॉडल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि दाता देश स्थानीय खाद्य पदार्थ बाजारों को नुकसान पहुंचाते हैं। लंबी अवधि के उपायों में शामिल हैं आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे कि उर्वरक और सिंचाई में निवेश, जिसने विकसित दुनिया में भुखमरी को काफी हद तक मिटा दिया है। विश्व बैंक की बाध्यताएं किसानों के लिए सरकारी अनुदानों को सीमित करते हैं और उर्वरकों के अधिक से अधिक उपयोग के अनापेक्षित परिणामोंः जल आपूर्तियों और आवास पर प्रतिकूल प्रभावों के कारण कुछ पर्यावरण समूहों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। भारत में अकाल का बहुत पुराना इतिहास रहा है। 1022–1033 के बीच कई बार अकाल पड़ा। सम्पूर्ण भारत में बड़ी संख्या में लोग मरे थे। 1700 के प्रारंभ में भी अकाल ने अपना भीषण रूप दिखाया था। 1860 के बाद 25 बड़े अकाल आए। इन अकालों की चपेट में तमिलनाडु, बिहार और बंगाल आए। 1876, 1899, 1943–44, 1957, 1966 में भी अकाल ने तबाही मचाई थी। उड़ीसा, बंगाल, बिहार आदि पिछड़े राज्यों में लोग कई–कई दिनों तक भूखे रहते थे। लोग एक मुट्ठी अनाज के लिए तड़पते थे। भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है । जहाँ मानसून और मौसम की कृपा पर रहना पड़ता हैं । यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं. जहाँ वर्षा ऋतु में एक बूंद भी नहीं पड़ती और कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में खूब बरसात होती हैं. बिहार, असम, बंगाल आदि ऐसे प्रदेश हैं । जहाँ अत्यधिक वर्षा होने से प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या बनी रहती है परन्तु राजस्थान का अधिकतर पश्चिमोत्तर इलाका मौसम पर वर्षा न होने से पानी के लिए तरसता रहता हैं । अवर्षण के कारण यहाँ अकाल या सूखा पड़ जाता हैं और अन्न चारा, घास आदि की कमी हो जाती हैं । राजस्थान में अकाल सूखा एवं मरुस्थलीकरण की समस्या भी व्यापक है ।

भौगोलिक स्थितिः–

भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। कर्क रेखा इसके दक्षिणी भाग में बांसवाडा के मध्य और डुंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई गुजर रही है। इस की कुल लम्बाई बांसवाडा में 26 किमी तथा डुंगरपुर में 8 किमी ह इसका विस्तार 23°03′ उत्तरी अक्षांश से 30°12′ उत्तरी अक्षांश (अक्षांशीय विस्तार 7°9 है) तक कुल लंबाई 826 कि॰मी॰ व राजस्थान 69°30′ पूर्वी देशांतर से 78°17′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है (देशांतरिय विस्तार 8°47) कुल चौड़ाई 869 कि॰मी॰ का ळें

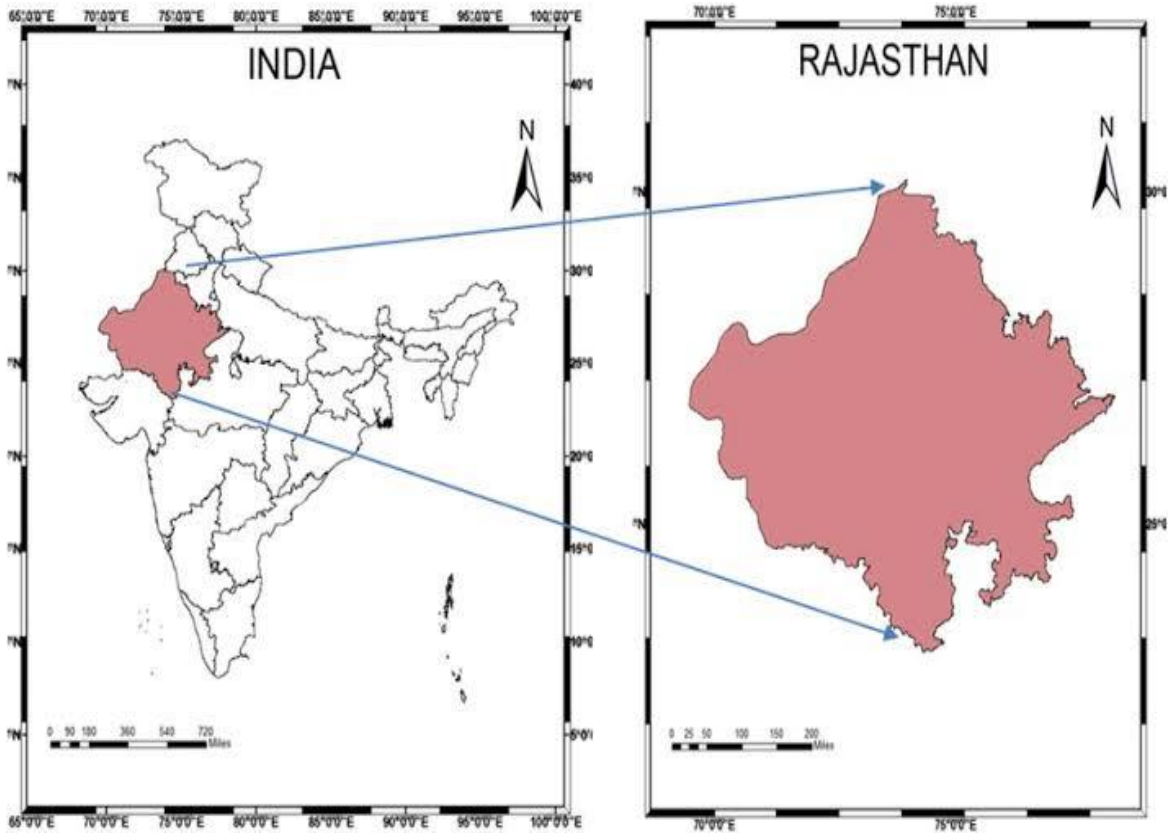

उद्देश्य :–

1 राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या का भौगोलिक अध्ययन करना ।

2 राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार , प्रभाव व नियंत्रण के उपायों का विश्लेषण करना ।

परिकल्पना :–

राजस्थान में अकाल व मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है ।

आंकड़ो के स्त्रोत :–

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया गया है । प्राथमिक आंकड़ो का संकलन व्यक्तिगत सम्पर्क से अनुसूची व प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है जबकि द्वितीयक आंकड़ो के लिए विभिन्न सरकारी प्रकाशित रिपोर्ट का उपयोग किया गया है ।

राजस्थान में अकाल की समस्या :–

राजस्थान का अधिकतर भू भाग शुष्क मरुस्थलीय हैं । इसके पश्चिमोत्तर भाग में मानसून की वर्षा प्रायः कम होती हैं और यहाँ पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं का नितांत अभाव हैं । अवर्षण के कारण यहाँ पर अकाल की काली छाया हर साल मंडराती रहती हैं और हजारों गाँव प्रतिवर्ष अकाल से ग्रस्त रहते हैं ।

मरुभूमि में निरंतर जल स्तर में कमी आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत दे रही हैं. प्रदेश के अधिकतर बांधों की स्थिति चिंताजनक दिखाई दे रही हैं । सदा उफान पर बहने वाली नदियों की शान्ति लोगों के सामने आने वाले भयावह संकट के संकेत दे रही हैं ।

राजस्थान के बांधों में महज 34 प्रतिशत जलराशि बची हुई हैं, पिछले साल के मुकाबले इसमें 6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई हैं. वहीँ राजस्थान में औसत वर्षा का स्तर भी साल दर साल गिर रहा हैं. ये सारी निशानियाँ हमें बूंद बूंद जल बचाने के लिए मानो कह रह रही है ।

१८६६ में राज्य में अब तक का सबसे भयानक अकाल पड़ा था, इसे ग्रेट राजपूताना अकाल भी कहा जाता हैं. राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब का जनजीवन इस अकाल में बुरी तरह प्रभावित हुआ था । १८६६ के इस साल अगस्त माह में थोड़ी सी बारिश हुई थी. पूरा साल बारिश की आस में गुजर गया मगर जल की एक बूंद भी नहीं गिरी थी. लोगों के खाने और पशुओं के चारे की बेहद कमी हो गई ।
कुँए तक सूख गये हजारों की संख्या में लोग इस साल भूख और प्यास के चलते मारे गये. ऐसी ही एक अनावृष्टि वर्ष 1899 की है जिस साल 1956 का विक्रमी संवत चल रहा था इस कारण यह छ्पनियाँ अकाल कहलाया. इस साल भर एक जल की बूंद न गिरी भुखमरी के हालातों के बीच जीवन का गुजारा मुश्किल हो गया था. जो लोग संघर्ष के साथ जीना सीख गये वे बच गये थे तथा जो रोटी जल की इस लड़ाई को जारी नहीं रख पाए उन्हें इस आपदा से हारकर जीवन गंवाना पड़ा था ।

राजस्थान में अकाल के कुछ प्रमुख उदाहरण है।

- 1783 ई. (वि. सम्वत् 1840) में चालीसा अकाल,
- 1812–13 में पंचकाल,
- 1842–43 ई. (वि. सम्वत् 1899–1900) पड़े विनाशकारी अकाल को सहसा मुदसा कहा गया।
- 1868–69 में त्रिकाल तथा
- 1899–1900 ई. (विक्रम संवत 1956) का छपन्नया अकाल।
- खेजडी वृक्ष छप्पनियस अकाल मे लोगो का मुख्य सहारा रहा।

1952 से 2016 तक निम्न वर्षों में राजस्थान में अकाल नहीं पड़ा :–
1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91, 1994–95
स्थायी :– अनावृष्टि जनित अकाल। सहसा मूदसा अकाल :– सन् 1842–43 का अकाल (वि.स. 1900–1901)
छप्पनिया अकाल सन् 1899 (वि. स. 1956)
महा अकाल :– 1987–88
वर्ष 2000–01 में धौलपुर को छोड़कर राजस्थान के सभी जिले अकाल से प्रभावित रहे। वर्ष 2009–10 में राजस्थान के 27 जिले अकाल से प्रभावित हुए।

- राजस्थान में अकाल के बारे में लोक कहावतें भी प्रचलित है। 'तीजो कुरियो आठवां काल' अर्थात् यहाँ प्रतिवर्ष कुरिया (अर्द्ध अकाल) तथा प्रति आठवें वर्ष भयंकर अकाल पड़ता है। जैसलमेर, जोधपुर और बाडमेर राजस्थान के ये जिले ऐसे हैं जो प्रायः अकाल कि स्थिति में रहते है।
- 1999–2000 स्वतंत्रता के बाद राज्य में अकाल रहित वर्ष ।

खेडाऊ (गोळू) अकाल पडने पर मवेषीयों को लेकर अन्य प्रदेषो कि और चारे पानी की खोज में जाने वाला व्यक्ति ।
कर्नल जेम्स टॉड इन्होने राजस्थान में अकाल व सुखे कि समस्या को प्राकृतिक रोग कि संज्ञा दी।

- फॉयसागर (अजमेर) – इस झील का निर्माण सन 1891–92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत कराया
- राजसमन्द – 1662 में मेवाड में भयंकर अकाल पड़ा जिसके तहत राजसमन्द झील का निर्माण हुआ। इस झील का निर्माण देष का प्रथम अकाल राहत कार्य था।

मैक्रो ड्रॉट / व्हद अकाल राजस्थान में 2002–03 का अकाल – 100 वर्शो का भीशण अकाल था

अकाल के प्रकार

1. अन्नकाल :– अन्न का अभाव।
2. जल काल : जल का अभाव।
3. तृण काल :– पशुओं के लिए चारे व घास का अभाव
4. त्रिकाल :– इस प्रकार के अकाल में अन्न चारे व पानी का भयंकर संकट उत्पन्न हो जाता है। सन् 1987 में इस प्रकार का अकाल पड़ा था।

राज्य में अकाल के कारण :–
प्राकृतिक कारण :–

1. शुष्क जलवायु
2. उच्च तापमान
3. वर्षा की अपर्याप्तता एवं अनियमितता
4. वनों का अभाव
5. नियतवाही नदियों का अभाव
6. उच्चावच के ढाल स्वरूप में परिवर्तन
7. अनाच्छादन से बालू की मात्रा में वृद्धि एवं विस्तार

मानवीय कारण :–

वनों की अनियंत्रित व अतार्किक कटाई
भू–जल का अंधाधुंध विदोहन
. पारिस्थितिकी असंतुलन

- प्रदूषण समस्या
- पेयजल की कमी

आर्थिक कारण :–

1. मरुस्थली प्रदेश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था
2. सीमित संसाधन
3. जनसंख्या वृद्धि का बोझ
4. पशुओं की संख्या में वृद्धि

मरुस्थलीकरण :–

मरुस्थलीकरण शुष्क पारिस्थितकीय तंत्रों के अवनयन की एक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मरुस्थलों में जैविक जीवन के सभी स्वरूप अल्पतम हो जाते हैं और आर्थिक सम्भावनायें क्षीण हो जाती है। परिभाषा से उस प्रक्रिया का आभास होता है जिसमें शुष्क प्रदेश की पारिस्थितिकी का विनाश हो जाता है तथा कोई भी जैवकीय तत्व नहीं बच पाता है इस प्रकार अन्त में आर्थिक सम्भावनायें क्षीण हो जाती हैं। मरुस्थलीयकरण प्रक्रिया के मुख्य दो रूप होते हैं–

मरुस्थल विस्तार शुष्क मरुस्थलीय देशों में हवाओं द्वारा रेत के कण मरुस्थल की बाहरी सीमाओं पर विक्षेपित होते रहते हैं और इस तरह मरुस्थलों का विस्तार बाहर की ओर होता रहता है। भारत में राजस्थान के थारमरुस्थल का विस्तार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की ओर इसका उदाहरण है।

मरुस्थल में परिवर्तन मृदा अपरदन अत्यधिक सिंचाई, रसायनिक उर्वरकों का रसायनिक दृ दवाओं इत्यादि के अधिक प्रयोग से उपजाऊ भूमि मरुस्थलों के रूप में परिवर्तित है। कभी–कभी नदियाँ बाढ़ के समय उपजाऊ मिट्टी के विस्तृत क्षेत्र पर बालू के कणों का निक्षेपण कर देती हैं जिससे उपजाऊ क्षेत्र मरुस्थल के रूप में परिवर्तित होने लगता है।

मरुस्थलीकरण के प्रभाव :–

मरुस्थलीयकरण का प्रभाव राजस्थान के पर्यावरणीय जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है जो सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए चुनौती के साथ में है। मरुस्थलीयकरण से निम्न समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं जो निम्न हैं दृ

- ★ पवन अपवाहन से शैलों का तीव्र अपरदन एवं दूर तक विक्षेपण।
- ★ प्रबल वायु वेग से रेत के अपवाहन से उर्वरा भूमि का विनाश ।
- ★ भूमि जल स्तर में तीव्र गत इसे गिरावट।
- ★ पेयजल का अभाव।
- ★ मरुस्थल विस्तार से वनों का तीव्र गति से विनाश ।
- ★ क्षारीय तथा बंजर भूमि में निरन्तर वृद्धि।
- ★ चारागाह के क्षेत्रों का निरन्तर संकुचन।
- ★ निरन्तर अकाल की सम्भावना।
- ★ सिंचाई की समस्या ।
- ★ अकाल की समस्या ।

मरुस्थलीकरण के कारण :–

मरुस्थलीयकरण के अनेक कारण होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है जो अग्रलिखित हैं–

वन विनाश दृ

मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को निरन्तर काटता चला जा रहा है। जिससे वन क्षेत्र दिनों–दिन कम होते जा रहे हैं। राजस्थान में वन विनाश से वन क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। इसी प्रकार अरावली पर्वत श्रृंखला भी वन विनाश के फलस्वरूप वीरान हो गयी है। यहाँ से जलावन लकड़ी को प्राप्त करने हेतु वनों का विनाश तीव्रगति से हो रहा है। छ.ै.। (छंजपवदंस तमचतवज`मदेपदल ।हमदबल) के अनुसार राजस्थान में वन विनाश खतरनाक स्थिति में पहुँच चुका है।

अत्यधिक पशुचारण दृ

शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क भागों में अत्यधिक पशुचारण आर्थिक क्रियाकलाप है ऐसे भागों में अत्यधिक पशुचारण से वनस्पति का आवरण घट जाता है तथा मृदा अपरदन बढ़ जाता है। जिससे मृदा उर्वरता समाप्त हो जाती है और मरुस्थलीयरण की क्रिया आगे बढ़ने लगती है।

अत्यधिक सिंचाई दृ

अत्यधिक सिंचाई से भूमि से जलाप्लावित हो जाती है और जल वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तब निचले भागों से लवण ऊपर आ जाता है जिससे भूमि बंजर हो जाती है। भारत में पेयजल एवं तराई क्षेत्रों से अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि बंजर होने की ओर उन्मुख है।

रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का अधिकाधिक प्रयोग दृ

मिट्टी से अधिकाधिक कृषि प्राप्त करने के लिए इनमें विविध प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जिससे मिट्टी के नये सर्किल के गुण समाप्त होने लगते हैं उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदलने लगती है तथा मरुस्थलीयकरण प्रारम्भ हो जाता है।

मरुस्थलीकरण नियंत्रण के उपाय :–

मरुस्थलीकरण के नियंत्रण के निम्न उपाय हैं–

वांछित सिंचाई दृ

उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में जितनी आवश्यक हो उतनी सिंचाई करनी चाहिए इससे जल प्लावन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और लवण अंश के ऊपर आने की संभावना कम होगी।

न्यून पशुचारण दृ

मरुस्थलीय बागों में न्यूड पशु चारण को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे मृदा अपरदन कम हो जाएगा तथा वनस्पतियों का आवरण बने रहने से अपरदन नहीं होगा।

पानी की समस्या दृ

मरुस्थलीय प्रदेशों में जलावरण के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है इसलिए ऐसे भागों में नहरों का जाल बिछा दिया जाए तो वही मरुस्थल लहलहाते खेतों में परिवर्तित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान के लिए वरदान साबित हुई है।

अकाल के दुष्परिणाम :–

राजस्थान में निरंतर अकाल पड़ने से आने दुष्परिणाम देखने सुनने को आते हैं । अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों अपने घरों का सारा सामान बेचकर या छोड़कर पलायन कर जाते हैं. जो लोग वहां रह जाते हैं, उन्हें कई बार भूखा ही सोना पड़ता हैं ।

जो लोग काम धंधे की खोज में दूसरे शहरों में चले जाते हैं उन्हें वहां उचित काम नहीं मिलता हैं । और वे सदा के लिए आर्थिक संकट में घिरे रहते हैं । अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल के अभाव से लोग अपने मवेशियों को लेकर अन्यत्र चले जाते हैं और घुम्मकड जातियों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं ।

अकाल के कारण राजस्थान सरकार को राहत कार्यों पर प्रतिवर्ष अत्यंत धन व्यय करना पड़ता हैं. इससे राज्य के विकास कार्यों की गति धीमी पड़ जाती हैं । अकालग्रस्त क्षेत्रों में आर्थिक शोषण का चक्र भी चलता हैं । पेट की खातिर सामान्य जनता बड़ा से बड़ा अपराध भी सह लेते हैं. फिर भी अकाल से मुक्ति नहीं मिलती हैं ।

अन्य दुष्परिणाम :–

- कृषि फसलों का नष्ट होना
- उद्योगों के लिए कच्चे माल का संकट
- श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी
- जनता की क्रय–शक्ति में हास
- औद्योगिक उत्पादन में गिरावट
- वनों का विनाश
- बेरोजगारी
- वस्तुओं की माँग में कमी

अकाल रोकने के उपाय :–

राजस्थान में सरकारी स्तर पर अकालग्रस्त लोगों को राहत पहुचाने के लिए समय समय पर अनेक उपाय किये गये, परन्तु अकाल की विभीषिका का स्थायी समाधान नहीं हो पाया । सरकार समय समय पर अनेक जिलों को अकालग्रस्त घोषित कर सहायता कार्यक्रम चलाती रहती हैं । इसके लिए राज्य सरकार समय समय पर केंद्र सरकार से सहायता लेकर तथा मनरेगा योजना के अंतर्गत अकाल राहत के उपाय करती रहती हैं परन्तु इतना सब कुछ करने पर भी राजस्थान में अकाल की समस्या का कारगर समाधान नहीं हो पाता हैं ।

आपदा प्रबन्धन :–

राज्य में अकाल से निपटने के लिए 24 अक्टूबर, 1951 को "आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग' की स्थापना की गई है।

राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 :–

1 अगस्त, 2007 से लागू राजस्थान राज्य – आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ैक्ड।) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 की अनुपालना में 6 सितम्बर, 2007 को किया गया। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति :–

25 अक्टूबर, 2007 राज्य आपदा राहत कोष ¥(क्त्थ्) में केन्द्र व राज्य सरकार का अंशदान 3: 1 हैं। फुड स्टैम्प योजना :– 15 अगस्त, 2004 से शुरू द्य

राजस्थान राहत कोष का गठन :–

2005–06 में गत तीन दशकों में राजस्थान में 90þ से अधिक गाँव वर्ष 2002–03 में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए। राज्य में वर्तमान (2013–14) में भू–उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19þ भूमि बंजर भूमि हैं।राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18þ की कमी आई है।

राजस्थान विशेष आवास योजना :–

2014–15 में प्रारम्भ इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रभावित परिवार को पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवास के पुनर्निर्माण हेतु 50 हजार रुपये एवं आंशिक क्षतिग्रस्त आवास हेतु 25 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। राजस्थान का उत्तर–पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है।

सूखे एवं अकाल की समस्या से निपटने हेतु सरकारी कार्यक्रम :–

1. सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम :– 1974–75 (राजस्थान के 11 जिलों के 32 खण्डों में संचालित)
2. जलसंभर विकास योजनाः 1 अप्रैल, 1995
3. हरियाली परियोजनाः 2003
4. मरु विकास कार्यक्रम :– 1977–78 में शुरू 16 जिलों के 85 खण्डों में संचालित
5. मरुगोचर योजना :– 2003–04 राज्य के 10 जिलों में संचालित
6. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभागः 24 अक्टूबर, 1951 को स्थापना
7. प्राकृतिक आपदा सहायता कोष वर्ष 1990–91 में स्थापित 8. राज्य में प्राकृतिक आपदा कोष का गठन अप्रैल 1995 में दसवें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया।

अकाल के प्रभाव को कम करने के उपाय :–

अल्पकालीन उपाय :–

1. वार्षिक योजना में नियमित प्रावधान की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. राहत कार्यों का निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप तथा शीघ्र व यथा समय हो ।
3. प्रयासरत संस्थाओं व तत्संबंधी कार्यों में समुचित समन्वय हो
4. राहत कार्यों में जनसहभागिता का सुनिश्चयन
5. पेयजल व्यवस्था हेतु हैंडपम्प व ट्यूबवेल खुदवाना
6. चारे की व्यवस्था करना
7. आबियाना (पानी पर लगने वाला कर) माफ करना

दीर्घकालीन उपाय

1. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना एवं उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घकालीन व उचित प्रबन्धन
2. विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना
3. सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम आदि का प्रभावी संचालन करना
4. वृक्षारोपण कार्यक्रम
5. अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना
6. सुलभ जल क्षेत्रों का पता लगाक उन जल संसाधन का विदोहन करना
7. कृषि वानिकी व चारागाह भूमि विकास को प्रोत्साहन एवं मरु प्रदेशों में बालू टिब्बों के
8. उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घकालीन प्रबन्धन आदि
9. पर्यटन को आकर्षक बनाया जाए

निष्कर्ष :–

इस प्रकार उपर्युक्त कारक मरुस्थलीकरण नियंत्रण के महत्वपूर्ण एवं कारगर उपाय हैं तथा देश के भविष्य के लिए एक प्रज्ज्वलित दीपक के समान है। राजस्थान की जनता को निरंतर कई वर्षों से अकाल का सामना करना पड़ रहा हैं. हर बार राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता की याचना करती हैं । अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए दानी मानी लोगों और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग अपेक्षित हैं । इस तरह सभी के समन्वित प्रयासों से ही राजस्थान को अकाल की विभीषिका से बचाया जा सकता हैं ।

सन्दर्भ सूची :–

1. राजस्थान भूगोल , प्रो एच एस शर्मा , पंचशील प्रकाशन , जयपुर ।
2 . राजस्थान का भूगोल , डॉ हरिमोहन सक्सेना , हिन्दी ग्रंथ अकादमी , जयपुर ।

3. राजस्थान सुजस , वार्षिक पत्रिका , राजस्थान सरकार , जयपुर , 2010.
4. मरु विकास कार्यक्रम वार्षिक रिपोर्ट 2012
5. राहत एवं बचाव कार्य , आपदा एवं जन आपूर्ति विभाग , राजस्थान 2013